



दिनांक 14.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति 428 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 31 मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों एवं 07 दिव्यांग पुलिस कर्मियों, को 56 करोड़ 71 लाख 59 हजार 800 रुपये के चेक प्रदान किये गये

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा द्वारा आज दिनांक 14.08.2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ संपादित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत संचालित पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) योजना के तहत आकस्मिक दुर्घटना में मृत एवं दिव्यांग पुलिस कर्मियों के आश्रितों/लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आकस्मिक दुर्घटना में मृत 31 पुलिस कर्मियों के परिजनों तथा 07 दिव्यांग पुलिस कर्मियों सहित कुल 38 लाभार्थियों को 56 करोड़ 71 लाख 59 हजार 800 रुपये की धनराशि के चेक वितरित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही दिव्यांग पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों से भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा विभाग की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा कठिन परिस्थितियों में विभाग उनके साथ पूरी संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहेगा।

इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय (PHQ) सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।







दिनांक 14.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति 429 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोसाईगंज

- लूट की घटना का अनावरण
- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 01 लाख 50 हजार रुपये नगद
- लूट के पैसों से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 14.08.2026 को थाना गोसाईगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1-अरुण कुमार उर्फ गोल्डी 2-शिवा 3-चंचल उर्फ लाला 4-शुभम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 50 हजार रुपये नगद, लूट के पैसों से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.08.2026 को थाना गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अरुण कुमार उर्फ गोल्डी निवासी पद्मिनीखेड़ा थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2-शिवा निवासी पद्मिनीखेड़ा थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3-चंचल उर्फ लाला निवासी ग्राम सरायजोगा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

4-शुभम निवासी ग्राम औलाद अली का पुरवा थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

- 1-लूट के 01 लाख 50 हजार रुपये नगद।
- 2-लूट के पैसो से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सुलतानपुर/थाना अखण्डनगर

- पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 05 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 800 ग्राम अवैध मारफीन
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 14.08.2026 को थाना अखण्डनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर सर्विस लेन अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-खुशीद आलम 2-प्रशान्त घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3-रोहित 4-अंकुर 5-रामबाबू उर्फ श्यामबाबू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 800 ग्राम अवैध मारफीन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना अखण्डनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-खुशीद आलम निवासी सिंहनाथ थाना जैतापुर जनपद बलरामपुर।
- 2-प्रशान्त निवासी डीह थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर।
- 3-रोहित निवासी गोविन्दपुर थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर।
- 4-अंकुर निवासी मकदूमपुर थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर।

5—रामबाबू उर्फ श्यामबाबू निवासी गुलटेरा बाजार थाना बिहटा जनपद पटना बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 05 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 800 ग्राम अवैध मारफीन।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद जौनपुर/थाना कोतवाली

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 14.08.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रसूलाबाद मालगोदाम के पास से अभियुक्त अतुल उर्फ बुल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अतुल उर्फ बुल्ला निवासी उमरपुर सुन्दरनगर कॉलोनी गुलरचक थाना कोतवाली जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना को0देहात

● अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● लगभग 75 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 390 ग्राम अवैध हेरोइन

● घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 14.08.2026 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 75 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 390 ग्राम अवैध हेरोइन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना को०देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिल निवासी रामपुर तौती थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1—लगभग 75 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 390 ग्राम अवैध हेरोइन।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

➤ जनपद आजमगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 92 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद आजमगढ़ पुलिस ने अभियुक्त राज उर्फ सवारिया पुत्र सुरेश राम निवासी गड़ेरी पट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 92 लाख रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

➤ जनपद सम्भल/थाना रजपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 22—22 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना रजपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—जगपाल 2—कुलदीप को आजीवन कारावास व 22—22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बागपत/थाना रमाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना रमाला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—मोनू को धारा 302/34/452 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये

अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—बिल्लू को धारा 302/34/452 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कठोर कारावास की सजा व 33 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामू को शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कठोर कारावास व 33 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सम्भल/थाना रजपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना रजपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रुद्राक्ष को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद रामपुर/थाना शाहबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना शाहबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कुंवर सैन को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 38 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4

पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीलेश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 38 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद औरैया/थाना बेला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना बेला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनुज कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 14.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति 430 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया उत्तर प्रदेश पुलिस के गीत 'खाकी का सितारा' का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश पुलिस के गौरव, शौर्य, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा को समर्पित गीत 'खाकी का सितारा' का शुभारंभ आज दिनांक 14-08-2026 को लोक भवन, लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया।

'खाकी का सितारा' वर्दी के पीछे मौजूद साहस, संघर्ष, संवेदना और जनसेवा के संकल्प को स्वर देता है। सुप्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार श्री शंकर महादेवन ने गीत को अपनी आवाज एवं संगीत दिया है, जबकि महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने अपनी सशक्त आवाज से इसे विशेष प्रभाव प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस शानदार एंथम को प्रतिष्ठित कवि व फ़िल्म गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है जबकि इस गीत की परिकल्पना एवं समग्र क्रिएटिव डायरेक्शन पुलिस महानिदेशक के जनसम्पर्क अधिकारी श्री राहुल श्रीवास्तव, द्वारा किया गया है।

अभिनेता श्री करण आनन्द ने अभिनय के माध्यम से खाकी के शौर्य, संवेदना और समर्पण को पर्दे पर जीवंत किया है। गीत का निर्देशन श्री अमित सोनकर ने किया है तथा इसके DOP श्री प्रवीण तालान, श्रीमती रूपाली तालान एवं श्री आशीष रमेश पाण्डेय हैं।

कार्यक्रम में साइबर अपराध के प्रति जन-जागरूकता के उद्देश्य से निर्मित विशेष साइबर क्राइम जागरूकता फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। अभिनेता श्री नाना पाटेकर अभिनीत एवं श्री राज शाण्डिल्य निर्देशित इस फिल्म के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 'खाकी का सितारा' उत्तर प्रदेश पुलिस को नई पहचान देने का अभिनव प्रयास है। यह गीत विगत वर्षों में पुलिस द्वारा अर्जित उपलब्धियों के साथ विषम परिस्थितियों में निरंतर कर्तव्य निभाने वाले पुलिसकर्मियों के शौर्य और समर्पण को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने गीत से जुड़े श्री शंकर महादेवन, श्री आलोक श्रीवास्तव, श्री करण आनन्द एवं पूरी रचनात्मक टीम तथा साइबर जागरूकता फिल्म से जुड़े श्री नाना पाटेकर, श्री राज शाण्डिल्य एवं उनकी टीम के योगदान की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह गीत उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक जवान के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगा।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्णा** ने कहा कि 'खाकी का सितारा' केवल पुलिस की उपलब्धियों का गीत नहीं, बल्कि वर्दी के पीछे मौजूद इंसान की कहानी है। यह उन हजारों पुलिसकर्मियों के साहस, अनुशासन, संवेदना और कर्तव्यनिष्ठा को अभिव्यक्ति देने का प्रयास है, जो प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के अपना दायित्व निभाते हैं।

उन्होंने फिल्म जगत से पुलिस की कहानी के साथ-साथ बदलती और आधुनिक होती पुलिस की नई तस्वीर को भी समाज के सामने लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि "प्रतिदिन चुपचाप अपना कर्तव्य निभाने वाले पुलिसकर्मी ही वास्तव में हमारी खाकी के सितारे हैं।"

सुप्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार **श्री शंकर महादेवन** ने इस अवसर को अपने लिए विशेष एवं सौभाग्यपूर्ण बताते हुए 'खाकी का सितारा' को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को समर्पित किया। उन्होंने गीत की पंक्तियां "सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा" तथा "हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे" प्रस्तुत करते हुए कहा कि संगीत के माध्यम से पुलिस की सेवा और संकल्प को स्वर देना उनके लिए विशेष अनुभव रहा।

सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता **श्री नाना पाटेकर** ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में आए बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि इतने विशाल एवं विविधतापूर्ण प्रदेश में सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ सुदृढ़ नेतृत्व, आधुनिक संसाधन, तकनीक, स्पष्ट नीति और दृढ़ इच्छाशक्ति भी आवश्यक है।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में आया परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि "पुलिस जितनी आधुनिक होगी, नागरिक उतना सुरक्षित होगा और नागरिक जितना जागरूक होगा, अपराधियों के लिए उतना ही कठिन होगा।" श्री नाना पाटेकर ने सार्थक सामाजिक उद्देश्यों एवं जन-जागरूकता अभियानों के लिए फिल्म जगत की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

